UPVR040193172019

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-1,वाराणसी।

मुकदमा संख्या-1187/2019

मीना पटेल.....बनाम.....प्रताप पटेल व अन्य

धारा-498 ए भा०दं०सं०
व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना-चोलापुर, वाराणसी।

दिनांक-17.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण प्रताप पटेल, अभिराम पटेल व श्यामदुलारी देवी द्वारा उन्मोचन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुये उपरोक्त आरोप से मुक्त किये जाने की याचना की गई है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा धारा-244 दं०प्र०सं० के तहत साक्षी के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्षी अंतर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवादिनी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि "मेरी शादी दिनांक-25.05.2015 को प्रताप पटेल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरे पति से मेरी अनबन हो गयी थी। मेरे पति ने मेरे परिवार से या मुझसे कभी दहेज की मांग नहीं की थी। न ही मेरे साथ मारपीट या गाली गलौज की थी। मुकदमा मैंने लोगो के कहने व बहकावे में आकर लिखवा दिया था। हम लोगों के मध्य विवाह विच्छेद आपसी सहमति से दाखिल किया गया है, जो न्यायालय में लम्बित है। हम लोग आपसी मर्जी से अलग रहने को राजी हैं। यह कहना गलत है कि सुलहनामा हो जाने के कारण सही बात नहीं बता रही हूँ।'' इस प्रकार परिवादिनी की ओर से धारा-244 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत दिये बयान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे कि अभियुक्तगण राहुल पटेल, हीरालाल पटेल तथा उर्मिला देवी को दोषी ठहराया जा सके। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है। अतः अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप आधारहीन होने के कारण अभियुक्तगण प्रताप पटेल, अभिराम पटेल व

Digitally signed by RAJIV MUKUL PANDEY
Date: 2025.10.17 16:46:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

श्यामदुलारी देवी को धारा-498ए भा0दं0सं0 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध से धारा-245(2) दं०प्र०सं० के तहत उन्मोचित किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण प्रताप पटेल, अभिराम पटेल व श्यामदुलारी देवी को धारा-498ए भा0दं0सं0 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध से धारा-245(2) दं०प्र०सं० के तहत उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(राजीव मुकुल पाण्डेय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या–1,
वाराणसी।
J.O.Code U.P. 2203